न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी सुनीता चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 102/2017 एल.आर. एक्ट

1 प्रताप पुत्र चूना उर्फ चुन्नी जाति जाट पेशा काश्त निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ जिला चुरू।
2 श्योकरण पुत्र चूना उर्फ चुन्नी जाति जाट पेशा काश्त निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ जिला चुरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. सुखराम पुत्र कुशलाराम जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ जिला चुरू।
2. घड़सीराम पुत्र कुशलाराम जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ जिला चुरू।
3. झिवदाराम पुत्र कुशलाराम जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ जिला चुरू।
4. शेर सिह पुत्र कुशलाराम जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ जिला चुरू।
5 चन्दो पुत्री चुनी जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ जिला चुरू।
6 चिड़िया पुत्री चुनी जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ जिला चुरू।
7 भरतो पत्नी चूनी जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ जिला चुरू।
8 माईसुख पुत्र फूलाराम जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ जिला चुरू।
9 रामपाल पुत्र फूलाराम जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ जिला चुरू।
10 ईश्वर पुत्र फूलाराम जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ जिला चुरू।
11 बादामा पत्नी फूलाराम जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ जिला चुरू। (फौत होने पर आदेश दिनांक 31.07.2017 द्वारा नाम हटाया गया)
12 प्यारी देवी पुत्री फूलाराम जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
13 छोटा देवी पुत्री फूलाराम जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
14 भतेरी पुत्री फूलाराम जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
15 राजोदेवी पुत्री फूलाराम जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
16 दयावती पुत्री फूलाराम जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
17 मायावती पुत्री फूलाराम जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ़

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जिला चुरू।
18 बोबदी पुत्री फूलाराम जाति जाट, निवासी लसेड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
19 ग्राम पंचायत गोठ्यां जरिये सरपंच, तहसील राजगढ जिला चूरू।
20 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राजगढ जिला चुरू।

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः			
	1. श्री सुभाष सहू	–	अभिभाषक अपीलान्ट
	2. संतनाथ योगी	–	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 ता 4
	3. श्री रामकिशन गोयतान	–	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 8 ता 10, एव 12 ता 18
	4. श्री सत्यपाल सहू		अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 5,6, 12 ता 18

निर्णय **दिनांकः 08–02–2021**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर चुरू के निर्णय दिनांक 08–07–2010 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सुखराम वगैरह ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चूरू में, तहसीलदार राजगढ के आदेश दिनांक 07.03.2008 के विरूद्व अपील पेश कर निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि कुल रकबा 79 बीधा 16 बिस्वा रोही मौजा लसेड़ी व व 8 बीधा 2 बिस्वा रोही मौजा ग्राम गौठया छोटी के खातेदार हेमा पुत्र खानू जाट का 1/4 हिस्सा खातेदार काश्तकार था, जो दिनांक 25.11.2002 को कुवारा फौत हो गया। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 228 नामान्तरकरण संख्या 149, जरिए हेमा के हिस्से की भूमि का उसके वारिसान हेमा के तीनो भाईयो के लड़के के नाम दर्ज कर ग्राम पंचायत गोठया बड़ी द्वारा तस्दीक कर दिया गया। मातहत अदालत द्वारा स्व. हेमा के भाई अकेले चुना के नाम जो नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया है व सही नही है। तथा नामान्तरकरण संख्या 228 नामान्तरकरण संख्या 149, को बहाल रखे जाने का निवेदन किया। जिस पर जिला कलक्टर चूरू ने अपने निर्णय दिनांक 08.07.2010 द्वारा रेस्पोडेन्ट सुखराम वगैरह की अपील स्वीकार कर तहसीलदार के निर्णय को अपास्त कर उसकी पालना में किये गये

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नामान्तरणकरण को निरस्त कर दिया। जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 08.07.2010 के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. यह अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान कंहा कि ग्राम लसेड़ी की रोही के खसरा नं. 93, 271, 272, 273, 274 कुल रकबा 79 बीधा 16 बिस्वा व ग्राम गोठिया छोटी का खसरा नं. 33 तादादी 8 बीधा 2 बिस्वा भूमि में हेमा पुत्र खानू जाट 1/4 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार था। हेमा कुआरा ही दिनांक 25.11.2002 को फौत हो गया। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम लसेड़ी की जमीन का नामान्तरकरण सं. 228 व गोठिया छोटी की जमीन का नामान्तरकरण सं. 149 हेमा की जमीन का इंतकाल उसके सगे 3 भाईयो के लड़को के नाम दर्ज कर दिया। इसके विरूद्व में माईसुख पुत्र फूलाराम ने उपखण्ड अधिकारी राजगढ के यहा चुनौती दी। उपखण्ड अधिकारी राजगढ ने इन दोनो इंतकालो को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार राजगढ को रिमाण्ड कर दिया। तहसीलदार राजगढ ने दिनांक 07.03.2008 को निर्णित किया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन सैड्यूल की क्लास प्रथम का उत्तराधिकारी न होने के कारण क्लास द्वितीय के वर्गीकरण के अनुसार चूना ही वास्तविक उत्तराधिकारी है। चूना हेमा की मृत्यु के समय जीवित था परन्तु तहसीलदार के समक्ष प्रकरण की सुनवाई के दौरान उसकी मृत्यु हो गई इसलिये आदेश दिया कि चूना के वारिसान के नाम उक्त भूमि का इन्तकाल दर्ज कर दिया जावे। रेस्पोडेन्ट द्वारा जिला कलक्टर चूरू के यहा पर तहसीलदार राजगढ के आदेश को चुनौती दी गई। जिला कलक्टर चूरू ने तहसीलदार राजगढ के आदेश को निरस्त कर दिया। जिला कलक्टर का निर्णय विधि सम्मत नही है जो निरस्त योग्य है। हेमा की मृत्यु के समय उसका एक ही भाई चूना जीवित था। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार हेमा की मृत्यु होते ही उसकी सारी जायदाद चूना में वेस्ट हो गई थी। तहसीलदार राजगढ का आदेश विधि सम्मत है। जिला कलक्टर ने हिन्दु उत्राधिकारी अधिनियम की गलत व्याख्या की है। हेमा की वसीयत को

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अति. जिला न्यायाधीश राजगढ के यहा रेस्पोडेन्ट सुखराम ने चुनौती दी हुई है अपीलान्ट इसके लिए भी तैयार है। वसीयत के अनुसार मृतक हेमाराम के भाई चूना व फूलाराम ने पुत्रगण के नाम इंतकाल कर दिया जावे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेंट नं. 1 ता 4 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि हेमा की मृत्यु के समय उसके तीनो सगे भाई के जायज वारिसान के पुत्र–पुत्रिया रही है। उनके नाम से नामान्तरण सही दर्ज किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर चूरू का निर्णय दिनांक 08–07–2010 सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।
6. रेस्पोडेंट नं. 8 ता 10 एवं 12 ता 18 के अभिभाषक रामकिशन गोयतान बहस के दौरान उपस्थित नही आयें परन्तु उन्होने लिखित बहस पेश कर हेमाराम द्वारा अपने हक की सम्पति (भूमि) की गई वसीयत दिनांक 20.11.2002 तथा नोटेरी तस्दीक दिनांक 21.11.2002 के अनुसार हेमाराम की कुल सम्पति (भूमि) का 1/2 हिस्सा का फूलाराम के पुत्रगण माईसुख, रामपाल, ईश्वर के हक में इन्तकाल चढाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।
7. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है
   1. इस प्रकरण मे मुख्य विवाद हेमा की भूमि से संबधित है। अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य कथन यह कि हेमा कुवारा फौत हो गया था, उस समय हेमा का भाई चूना ही जीवित था, उक्त हेमा की भूमि चूना के वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज कर दिया जावे।
   2. रेस्पोडेंट नं. 1 ता 4 के अभिभाषक का मुख्य कथन यह कि हेमा की मृत्यु के बाद उसके तीनो सगे भाई के जायज वारिसान पुत्र–पुत्रिया है। उनके नाम से इन्तकाल दर्ज होना चाहिये।
   3. जिला कलक्टर चूरू ने अपने निर्णय में सही विवेचना करते हुऐ लिखा है कि किसी एक भाई की मृत्यु होने पर अन्य सभी भाईयों–बहनो के ही नाम भूमि जानी चाहिए न कि केवल जीवित भाई के नाम पर। अतः जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

08—07—2010 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण उसमे हस्तक्षेप की आवश्यकता नही समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर चूरू का निर्णय दिनांक 08—07—2010 यथावत रखा जाता है।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08—02—2021 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

8/2/21.

(सुनीता चौधरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर